

प्रेस- नोट

थाना सरायमीर

आवेदक के खाते से फ्राड हुए 30,500/- रुपये वापस कराये गये

पूर्व की घटना- दिनांक 19.11.2022 आवेदक शुभम यादव पुत्र सिरजन कुमार यादव ग्राम कौरौली बुजुर्ग थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि आवेदक ने एक लिंक पर क्लिक किया था जिससे उसके खाते से 30,500/- रुपये साईबर फ्राड के माध्यम से काट लिये गये।

➡ जिसके सम्बंध में त्वरित कार्यवाही करते हुये प्रभारी निरीक्षक सरायमीर यादवेन्द्र पाण्डेय व कम्प्यूटर आपरेटर अमित कुमार गुप्ता द्वारा आवेदक का पैसा होल्ड कराया गया।

➡ कम्प्यूटर आपरेटर अमित गुप्ता, का0 इन्द्रजीत यादव व का0 सोनू गुप्ता द्वारा बैंक से सम्पर्क कर आवेदक के खाते से फ्राड हुआ पैसा वापस कराया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 यादवेन्द्र पाण्डेय, कम्प्यूटर आपरेटर अमित कुमार गुप्ता, का0 इन्द्रजीत यादव, का0 सोनू गुप्ता थाना सरायमीर आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी की पुत्री को अभियुक्त अफजल पुत्र एकबाल, अज्ञात व्यक्तियों के सहयोग से भगा ले गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/24 धारा 363/ 366/ 506/ 120बी भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.03.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा सम्बन्धित अभि0 अफजल पुत्र एकबाल निवासी विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को जोलहापुर पुलिया से समय करीब 11.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- अफजल पुत्र एकबाल निवासी विशौली थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 71/24 धारा 363/366/506/120बी भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रमेश कुमार, का0 उपेन्द्र कन्नौजिया थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना मुबारकपुर

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 12.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि अभियुक्त अमित यादव पुत्र हरिकेश यादव साकिन खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने वादिनी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया तथा विडियो बनाकर वायरल करने एवं जान से मारने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 100/2024 धारा 376/313/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर निहार नन्दन कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अमित यादव पुत्र स्व0 हरिकेश यादव साकिन खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को उसके घर ग्राम खौरा से समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 100/2024 धारा 376/313/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का नाम पता- अमित यादव पुत्र स्व0 हरिकेश यादव साकिन खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली टीम- SHO निहार नन्दन कुमार, का0 मदन शर्मा, का0 शैलेश यादव व म0का0 शिवानी सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर
छेडखानी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 02.03.24 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी अपनी लडकियों को परीक्षा दिलाकर घर वापस आ रहा था कि ग्राम कमालपुर के पासवान बस्ती के निवासी 1.सचिन पुत्र दलकुमार व 2. सनी पुत्र पप्पू व 6-7 अज्ञात लोगो ने गाड़ी रोककर छेडखानी किया तथा वादी को मारे पीटे जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-103/2024 धारा 354क/323 भादवि0 व 7/8 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.03.2024 को उ0नि0 सुबाष यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से अभियुक्तों 1. सचिन पुत्र दलकुमार सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व 2. सनी पुत्र पप्पू सरोज सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को नन्दाव मोड़ से समय करीब 09.40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सचिन पुत्र दलकुमार सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. सनी पुत्र पप्पू सरोज सा0 कमालपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 103/2024 धारा धारा 354क/323 भादवि व 7/8 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुबाष यादव, हे0का0 मुन्ना यादव, का0 चन्दन कुमार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 09.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त नन्दलाल सेठ पुत्र स्वर्गी गुलाब सेठ निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ने अपने घर मे बुलाया और जबरदस्ती उसके मुंह मे कपड़ा ठुस कर जान मारने की धमकी देते हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2024 धारा 377/506 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- आज दिनांक 14.03.2024 को उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त नन्दलाल सेठ पुत्र स्वर्गी गुलाब सेठ निवासी अलाउद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को सियरहा अण्डर पास से समय करीब 12:20 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

नन्दलाल सेठ पुत्र स्व0 गुलाब सेठ निवासी अलाऊद्दीनपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 73/2024 धारा 73/2024 धारा 377/506 भादवि व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनुज कुमार पाण्डेय, हे0का0 सतीश कुमार शर्मा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- मेंहनगर
गैंगेस्टर में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.03.2023 को उ0नि0 कन्हैया लाल मौर्या मय हमराह द्वारा मुखबीर की सुचना पर ग्राम कतरा विषहम बगीचे से 03 अभियुक्तों 1. सोहराब पुत्र एकलाख शेख निवासी कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 2. जाहिद पुत्र सोहराब निवासी कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 3. सलमान पुत्र एकलाख निवासी कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 4.सायरा, 5.मिस्बा को 04 कुन्तल प्रतिबन्धित पशु के मांस, 01 तराजू, 02 बाट, 01 लकड़ी का ठीहा, 02 तसला, 02 चापड, 02 चाकू, 01 फावडा, आदि वस्तुओं के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त सद्दाम, जुल्फेकार, सुहेल, कलीम, आदि मौके से फरार हो गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 115/23 धारा 3,5,8, गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ दिनांक 28.03.2024 को अभियुक्तो 6. सद्दाम पुत्र जुल्फेकार निवासी कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 7. जुल्फेकार पुत्र फैजान कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 8. कलीम पुत्र सोहराब निवासी कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

➡ प्र0नि0 संजय कुमार सिंह की रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा जनपद में गैंग बनाकर गोवध एवं पशु तस्करी जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों 1.कलीम S/O सोहराब 2. सुहेल अहमद S/O गफ्फार 3. अब्दुल रहमान उर्फ सद्दाम S/O जुल्फेकार समस्त निवासी ग्राम कतरा विषहम थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध दिनांक 08.03.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 12.03.2024 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- मु.अ.सं 85/24 धारा 2(b)(xvii)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक मेंहनगर संजय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.कलीम पुत्र सोहराब सा0 कतरा विषहम थाना मेहनगर आजमगढ़, 2.अब्दुल रहमान उर्फ सद्दाम पुत्र जुल्फेकार सा0 कतरा विषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को विषहम मोड़ पुलिया से समय करीब 09:35 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.कलीम पुत्र सोहराब सा0 कतरा विषहम थाना मेहनगर आजमगढ़।
- 2.अब्दुल रहमान उर्फ सद्दाम पुत्र जुल्फेकार सा0 कतरा विषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 85/24 धारा 2(b)(xvii)/3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 115/23 धारा 3,5,8, गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म एक्ट थाना मेंहनगर, आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम- प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह, हे0का भैयालाल, का0 हिमान्शु गिरी, का0 वसीम अकरम व म0 का0 दीक्षा मिश्रा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।